छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) संख्या 3092/2011

पन्ना लाल साहू, पिता भागीरथी साहू, उम्र लगभग 51 वर्ष
वर्ष, (पूर्व सहायक उप निरीक्षक, पुलिस रिजर्व सेंटर,
कोरबा,) निवासी प्रगति नगर, दर्री, पुलिस स्टेशन दर्री,
तह. कटघोरा, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

.....याचिकाकर्ता

//विरुद्ध//

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा
सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन,
रायपुर, छत्तीसगढ
2. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज,
बिलासपुर, छत्तीसगढ
3. पुलिस अधीक्षक, कोरबा, छत्तीसगढ़

.....उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु - श्री एम०के० बेग अधिवक्ता ।
उत्तरवादीगण/राज्य हेतु - श्री सुनील ओटवानी अपर महाधिवक्ता,
श्री रवि भगत उप सरकारी अधिवक्ता ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

आदेश दिनांक 13.08.2021

1. यह रिट याचिका आदेश दिनांक 29.04.2011 (अनुलग्नक पी/4) कें विरुध किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 2 नें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (इसके बाद इसे 'नियम 1966 ' कहा जाएगा') की धारा 29(1) के अतर्गत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समीक्षा शक्ति का प्रयोग करते हुये एक वेतन वृध्दि कों एक वर्ष के लिए संचयी प्रभाव से रोकने के दंड को सेवा से हटाने के दंड में परिवर्तित कर दिया गया ।

2. याचिकाकर्ता के विरुध सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और साहूराम नामक व्यक्ति से ₹200/– रुपये छिनने तथा अपने शासकीय कर्तव्य कें निर्वहन में लापरवाही बरतने के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरु की गयी है । पुलिस अधीक्षक, कोरबा/अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 18.6.2009 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा एक वर्ष के लिए संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का मामूली दंड लगाया। दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर के समक्ष अपील दायर की। पुलिस महानिरीक्षक/उत्तरवादी क्रमांक 2 ने पाया कि याचिकाकर्ता को डकैती के आपराधिक आरोप से बरी कर दिया गया है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया और मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को साहू राम से डकैती के संबंध में आरोप के छोडकर,शेष आरोप के लिए नए सिरे से विभागीय कार्यवाही के लिए वापस भेज दिया, छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम के विनियमन 270(1) के तहत स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत 21.12.2009 (अनुलग्नक पी–2) के आदेश द्वारा विभागीय जांच के दूसरे चरण में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 7.10.2010 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा एक वेतन वृद्धि को एक वर्ष के लिए संचयी प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पुनः अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 29.4.2011 के आदेश द्वारा (अनुलग्नक पी/4) अपील पर विचार करते हुए अपील अस्वीकार कर दिया और दिनांक 21.12.2009 को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुये कथित रूप से नियम 1966 की धारा 29(1) के तहत याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का दंड लगाया है तथा यह भी माना है कि निलंबन अवधि के दौरान याचिकाकर्ता सेवा लाभों का हकदार नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.4.2011 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) पर प्रश्न उठाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि समीक्षा शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम 1966 के नियम 29(1) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है और उन्हें सेवा से हटाने के उक्त दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं दिया गया है तथा अपील का निर्णय गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए था, जिस पर भी विचार नहीं किया गया है।

4. उत्तरवादीगण द्वारा आरोपित आदेश को उचित ठहराते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के. बेग ने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश अनुचित और विधि की दृष्टि से गलत है, क्योंकि 1966 के नियम 29(1) के प्रावधान के तहत प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर याचिकाकर्ता को समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग करते समय प्रदान नहीं किया गया है, जिससे विभाजनकर्ता को पक्षपात का सामना करना पड़ा है तथा सुनवाई किए बिना तथा जांच रिपोर्ट की प्रति दिए बिना ही याचिकाकर्ता को हटाने का निर्देश दिया गया है, जो अअनुचित और विधि की दृष्टि से गलत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर श्री सुनील ओटवानी, विद्वान अपर महाधिवक्ता, श्री रवि भगत, विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता ने प्रतिवादी/राज्य के लिए अपना तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिध्द पाये गये कदाचार कों देखते हुये उसे सेवा से हटाने का दंड देकर सही तरीके से सेवा से हटाया गया है और इस प्रकार, रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है ।

7. मैंने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तओ को सुना है, उनके द्वारा दिए गए तर्क पर विचार किया है और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेंजों को अत्यंत सावधानी के साथ अवलोकन किया है।

8. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दो आरोपों के लिए अनुशासनात्मक स्तर की जांच की गई थी, जिसमें दिनांक 18.6.2009 के आदेश द्वारा एक वर्ष के लिए संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धि पर रोकने का दंड लगाया गया । जिसके

विरुद्ध उसने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलीय कार्यवाही मे छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियमन 270(1) के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया और इस प्रकार दी गई सजा को अपास्त कर दिया तथा मामले को केवल एक आरोप के लिए नए सिरे से विभागीय कार्यवाही के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेज दिया। दूसरे दौर में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने केवल एक आरोप के संबंध में जांच की, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था, क्योकि इस बीच याचिकाकर्ता को डकैती के आरोप से बरी कर दिया गया था। इस बार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी और यह भी माना कि निलंबन अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अन्य लाभों के लिए हकदार नहीं होगा, सिवाय उन लाभो के जो उसने पहले ही प्राप्त कर लिये है। जब याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दिनांक 7.10.2010 के आदेश के विरुद्ध पुनः अपील प्रस्तुत की, तो अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर यह कहते हुये निर्णय नहीं लिया कि उसने दिनांक 21.12.2009 के आदेश द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है तथा 1966 के नियम 29(1) के अन्तर्गत पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग किया है तथा सेवा के लिए संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड को परिवर्तित कर दिया है। पुलिस की अनुपस्थिति में एक वर्ष की सजा के लिए नियम 1966 के सुसंगत प्रावधानों में संशोधन का उल्लेख है, जो छत्तीसगढ़ में लागू होगा। **(देखें प्रेमचंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य और कृष्णनारायण शिवप्यारे दीक्षित बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस स्तर पर, 1966 के नियम 29 (1) पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

"29. (1) इन नियमों में नियम 11 को छोड़कर किसी भी बात के होते हुए भी

(i) राज्यपाल; या

(ii) राज्य सरकार के सीधे अधीन किसी विभाग का प्रमुख, ऐसे विभाग या कार्यालय (सचिवालय न हो) में सेवारत सरकारी कर्मचारी के मामले में, ऐसे विभाग प्रमुख के नियंत्रण में, या

(iii) अपीलीय प्राधिकारी, समीक्षा किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर, या

(iv) राज्यपाल द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी, और ऐसे सामान्य या विशेष आदेश में निर्धारित समय के भीतर किसी भी समय, या तो स्वयं या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मंगा सकता है और इन नियमों के तहत या नियम 34 द्वारा निरस्त नियमों के तहत किए गए किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकता है, जिसके खिलाफ अपील की अनुमति है, लेकिन जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है या जिसके खिलाफ कोई अपील की अनुमति नहीं है, आयोग के परामर्श के बाद जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द कर सकता है; या

(ख) आदेश द्वारा लगाए गए जुर्माने की पुष्टि, कमी, वृद्धि या उसे निरस्त करना, या जहां कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, वहां कोई जुर्माना लगाना; या

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को भेजना जिसने आदेश दिया था या किसी अन्य प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी आगे की जांच करे; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित करना जैसा वह उचित समझे: बशर्ते कि किसी भी पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा कोई जुर्माना लगाने या बढ़ाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित जुर्माने के

विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां जुर्माना लगाने का प्रस्ताव हो; नियम 10 के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट किसी भी दंड का उल्लंघन करने या समीक्षा किए जाने वाले आदेश द्वारा लगाए गए दंड को उन खंडों में निर्दिष्ट किसी भी दंड में बढ़ाने के लिए, नियम 14 में निर्धारित तरीके से जांच के बाद और आयोग के परामर्श के बाद ही ऐसा कोई दंड लगाया जाएगा, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है: आगे यह भी प्रावधान है कि विभाग के प्रमुख द्वारा समीक्षा करने की कोई शक्ति तब तक प्रयोग नहीं की जाएगी जब तक कि:

(i) वह प्राधिकारी जिसने अपील में आदेश दिया हो; या

(ii) वह प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील की जाएगी, जहां कोई अपील नहीं की गई है, उसके अधीनस्थ है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपर्युक्त प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलेगा कि यदि पुनर्विलोकन प्राधिकारी की यह राय है कि दंड बढ़ाया जाना है, तो उसे प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देना होगा और जहां नियम 10 के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट दंडों में से कोई दंड लगाने का प्रस्ताव है या समीक्षा किए जाने वाले आदेश द्वारा लगाए गए दंड को उन खंडों में निर्दिष्ट दंडों में से किसी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहां ऐसा कोई दंड नियम 14 में निर्धारित तरीके से जांच के बाद और जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, आयोग के परामर्श के बाद ही लगाया जाएगा।

11. उपरोक्त नियम की स्थिति के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा रिमांड के बाद, दंड के साथ नई जांच की गई और अनुशासनात्मक प्राधिकारी नें 1966 के नियम 29(1) के तहत समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग करते हुये सेवा से हटाने का दंड लगाया, लेकिन याचिकाकर्ता को प्रस्तावित दंड यानी सेवा से निष्कासन के खिलाफ अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया गया। पुनरीक्षण अधिकारी ने

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया । याचिकाकर्ता को सुनवाई हेतु अवसर नही दिया गया है और नियम 1966 के नियम 29(1) में निहित प्रावधानों का अनुपालन किए बिना ही सीधे सेवा से हटाने का आदेश पारित कर दिया है क्योकि उसें प्रस्तावित बढी हुई सजा के खिलाफ अभ्यावेदन देनें का अवसर नही दिया गया और नियम 1966 के नियम 29(1) में निहित प्रावधानों के अन्य भाग का भी अनुपालन नहीं किया गया है, जो नियम 1966 के नियम 29(1) में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है।

12. इतना ही नहीं, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दिनांक 07.10.2010 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर भी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसने पहले ही पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है तथा समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सेवा से हटाने का दण्ड दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस मामले को देखते हुए, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा समीक्षा प्राधिकारी के रुप में पारित आदेश दिनांक 29.4.2011 (अनुलग्नक पी–4) अपास्त किया जाता है। तथापि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.10.2010 (अनुलग्नक पी–3) को पारित आदेश संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की सीमा तक बहाल किया जाता है। याचिकाकर्ता 25.6.2008 से 30.4.2009 तक पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार होगा और वह सभी परिणामी सेवा लाभों का भी हकदार होगा क्योंकि वह 17.8.2018 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है।

14. रिट याचिका ऊपर बताये अनुसार स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/–
श्री संजय के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur